भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3242

उत्तर देने की तारीख : 20.03.2025

क्लस्टर विकास कार्यक्रम

3242. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री अमर शरदराव काले:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के अंतर्गत महाराष्ट्र में स्थापित क्षेत्र-विशिष्ट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) समूहों की संख्या कितनी है;

(ख) इन क्लस्टरों के अंतर्गत वस्त्र, हस्तशिल्प अथवा कृषि आधारित उद्योग जैसे किस प्रकार के उद्योग शामिल हैं;

(ग) इन क्लस्टरों से लाभान्वित होने वाले एमएसएमई की संख्या कितनी है और राज्य में क्षेत्र-विशिष्ट क्लस्टरों के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र में सीडीपी में एमएसएमई के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रावधान शामिल हैं;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रौद्योगिकी सहायता हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(च) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्रौद्योगिकी सुधार के लिए एमएसएमई को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(छ) इन उपायों का राज्य में एमएसएमई की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ज) क्या सरकार महाराष्ट्र में एमएसएमई क्लस्टरों को विपणन और निर्यात संवर्धन संबंधी सहायता प्रदान करती है, और यदि हां, तो महाराष्ट्र में कितने क्लस्टर ऐसी पहलों से लाभान्वित हुए हैं; और

(झ) क्या सरकार को सीडीपी के अंतर्गत महाराष्ट्र में नए एमएसएमई समूहों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के तहत, देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता के संवर्धन के लिए सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना की गई है। इस योजना के तहत, महाराष्ट्र में ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 17 सीएफसी स्थापित किए गए हैं।

(ग) : राज्य में इन सीएफसी से 400 से अधिक एमएसई लाभान्वित हुए हैं, एमएसई-सीडीपी एक मांग संचालित योजना है और राज्य सरकार से उनकी जरूरत के आधार पर प्रस्ताव प्राप्त होता है।

(घ) और (ङ) : जी, हां, इस योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, कौशल और गुणवत्ता, बाजार पहुंच आदि में सुधार जैसे सामान्य मुद्दों को संबोधित करके एमएसई की स्थिरता, प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास को बढ़ाना है, एमएसई-सीडीपी एक मांग आधारित योजना है और राज्य सरकार से उनकी आवश्यकता के आधार पर प्रस्ताव प्राप्त होता है।

(च) : एमएसई-सीडीपी के तहत महाराष्ट्र राज्य में 17 सीएफसी की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा 188.62 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है।

(छ) : राज्य में एमएसई के उत्पादन, निर्यात, टर्नओवर और गुणवत्ता आदि के संबंध में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हुई है;

(ज) : एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को बाजार पहुंच संबंधी पहल शुरू करने के लिए लाभ प्रदान करती है और इस योजना के तहत लगभग 35000 एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं।

(झ) : महाराष्ट्र राज्य में एमएसई-सीडीपी के तहत नए एमएसई क्लस्टर के लिए कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

******